ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

28 November 2024

भारत में युवा बेरोजगारी

सन्दर्भ: हाल ही में भारत में युवा बेरोजगारी एक दीर्घकालिक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि यहाँ युवा आबादी अत्यधिक और गतिशील है। हालांकि, नवीनतम आँकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत की युवा बेरोजगारी दर वैश्विक औसत से कम है, जोकि रोजगार सृजन के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है।

युवा बेरोजगारी: वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- युवा बेरोजगारी का अर्थ 15-24 (या कभी-कभी 15-29) आयु वर्ग के उन व्यक्तियों के प्रतिशत से है, जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यह किसी देश के श्रम बाजार की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, वैश्विक युवा बेरोजगारी दर 2021 में 15.6% से घटकर 2023 में 13.3% हो गई, जो देशों के सामने पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान करने की चुनौती को उजागर करती है।

States/UTs with **high unemployment** rate in July 2023-June 2024 period

STATE/UT	Male	Female	Person
Lakshadweep	26.2	79.7	36.2
Andaman & N Islands	24	49.5	33.6
Kerala	19.3	47.1	29.9
Nagaland	27.9	26.6	27.4
Manipur	19.9	27.5	22.9
Ladakh	11.4	38.3	22.2
Arunachal Pradesh	21.9	19.6	20.9
Goa	13.2	31	19.1
Punjab	16.7	24.5	18.8
Andhra Pradesh	16.4	19.7	17.5

States/UTs with **lowest youth unemployment** rate

STATE/UT	Male	Female	Person
Madhya Pradesh	2.8	2.1	2.6
Gujarat	3.3	2.7	3.1
Jharkhand	4.8	1.5	3.6
Delhi	4.6	4.8	4.6
Chhattisgarh	6.6	5.8	6.3
Dadra & Nagar Haveli	7.8	3.7	6.6
Tripura	6.8	6.7	6.8
Sikkim	8.3	6.8	7.7
West Bengal	8.5	10	9
Uttar Pradesh	9.3	12.3	9.8

Source: NSSO

भारत में युवा बेरोजगारी: वर्तमान रुझान

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की रिपोर्ट के अनुसार, 15-29 आयु वर्ग के युवाओं के लिए भारत की बेरोजगारी दर 2023-24 में 10.2% होगी, जो वैश्विक औसत 13.3% से कम है।
- पीएलएफएस के प्रमुख संकेतक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं:
  - **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):** 2017-18 में 31.4% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो जाएगा, जोकि युवा रोजगार में सुधार का संकेत है।
  - **EPFO पेरोल डेटा:** यह डेटा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि को दर्शाता है। 2023-24 में 1.3 करोड़ से अधिक नए ग्राहक EPFO में शामिल हुए और 2017 से 2024 के बीच 7.03 करोड़ से अधिक नए ग्राहक जुड़े।

रोजगार को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल:

- युवा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता पर केंद्रित कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है:
  - **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों और रोजगार सृजन को समर्थन देता है।
  - **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** यह योजना युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराती है।
  - **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY):** यह योजना उच्च मांग वाले क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - **ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (RSETI):** युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करने हेतु उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

भारत के प्रयासों के परिणामस्वरूप युवा बेरोजगारी दर में गिरावट और रोजगार संकेतकों में सुधार हो रहा है। कौशल विकास, रोजगार के औपचारिकीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने में निरंतर निवेश इस सकारात्मक प्रवृत्ति को बनाए रखने, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने और देश के युवा कार्यबल की क्षमता को विकसित करने के लिए आवश्यक है।

बौद्धिक संपदा को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता

संदर्भ: हाल ही में भारत ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के तहत डिजाइन कानून संधि (DLT) पर हस्ताक्षर करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अपनी बौद्धिक संपदा (IP) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
@yeyaias.com

- लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद, WIPO के सदस्य देशों ने इस ऐतिहासिक संधि को अपनाया, जिसका उद्देश्य वैश्विक डिजाइन संरक्षण को सुसंगत बनाना और इसे विशेष रूप से स्टार्टअप्स, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) और स्वतंत्र डिजाइनरों के लिए अधिक सुलभ और कुशल बनाना है।

डिजाइन कानून संधि (डीएलटी) के प्रमुख प्रावधान:

- डीएलटी ने औद्योगिक डिजाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और उन्नत बनाने के लिए कई प्रावधान प्रस्तुत किए हैं:
  - **एकल आवेदन में अनेक डिजाइन:** यह संधि आवेदकों को कुछ शर्तों के अधीन एक ही आवेदन में अनेक डिजाइन दाखिल करने की अनुमति देती है, जिससे कार्यकुशलता में सुधार होता है।
  - **प्रकाशन के लचीले प्रावधान:** आवेदक दाखिल करने की तिथि प्राप्त करने के बाद छह महीने तक डिजाइन को अप्रकाशित रख सकते हैं, जिससे समय से पहले प्रकाशन के खिलाफ सुरक्षा मिलती है।
  - **प्रकटीकरण के लिए अवधि:** 12 महीने की रियायती अवधि शुरू की गई है, जो आवेदकों को पंजीकरण वैधता से समझौता किए बिना अपने डिजाइन का खुलासा करने की अनुमति देती है।
  - **ई-फाइलिंग प्रणाली:** इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और प्राथमिकता दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान की शुरुआत से आवेदन प्रक्रिया सरल हो गई है, और यह अधिक सुलभ हो गई है।
  - **दाखिल करने की तिथि से संबंधित आवश्यकताएँ:** संधि में आवेदन की तिथि निर्धारित करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं और अधिकारों को खोने से बचने के लिए समय पर आवेदन दाखिल करने के महत्व पर जोर दिया गया है।
- इन प्रावधानों का उद्देश्य डिजाइन पंजीकरण को सरल बनाना है, जिससे यह विश्व भर के आवेदकों के लिए अधिक पूर्वानुमानित, कम जटिल और किफायती बन सके।

डीएलटी का महत्व:

- डीएलटी स्टार्टअप्स, एसएमई और स्वतंत्र डिजाइनरों को उनके डिजाइनों के लिए वैश्विक सुरक्षा प्रदान करके सशक्त बनाता है। प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को मानकीकृत करके, संधि प्रशासनिक बोझ को कम करती है और वैश्विक रचनात्मकता को बढ़ावा देती है।
- डिजाइन संरक्षण पर भारत के नीतिगत प्रयास इसके आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, नवाचार और बाजार विकास को समर्थन देने के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।
- स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) योजना जैसे कार्यक्रम उद्यमियों के लिए आईपी पहुंच को सुविधाजनक बनाकर डीएलटी के पूरक हैं।

डिजाइन पंजीकरण में भारत की प्रगति:

- भारत ने आर्थिक विकास में डिजाइन के महत्व को लंबे समय से पहचाना है। हाल के वर्षों में डिजाइन पंजीकरण में उछाल आया है, पिछले दो वर्षों में अकेले घरेलू दाखिलों में 120% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष डिजाइन आवेदनों में 25% की वृद्धि हुई, जोकि डिजाइन संरक्षण के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

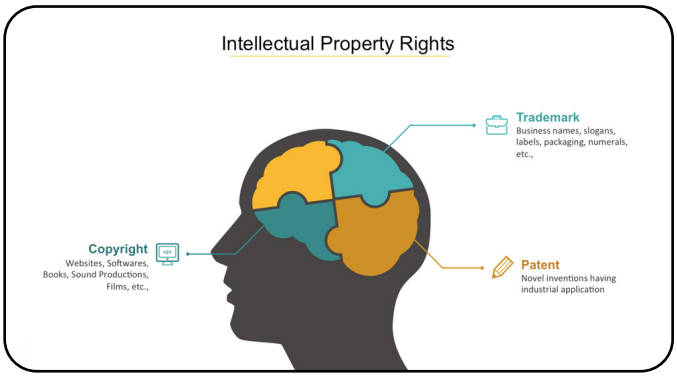

डब्ल्यूआईपीओ और भारत का योगदान:

- डब्ल्यूआईपीओ (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन), एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जो वैश्विक स्तर पर आईपी अधिकारों को बढ़ावा देती है। भारत द्वारा डीएलटी पर हस्ताक्षर करने से उसका आईपी पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है और वैश्विक डिजाइन संरक्षण का समर्थन होता है, जो डब्ल्यूआईपीओ के लक्ष्यों में योगदान करता है।

निष्कर्ष:

औद्योगिक डिजाइन संरक्षण को अधिक सुलभ और कुशल बनाने की दिशा में डीएलटी एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के लिए, यह आईपी पारिस्थितिकी

तंत्र को मजबूत करता है, स्टार्टअप और एसएमई को सशक्त बनाता है, और यह सुनिश्चित करता है कि देश की रचनात्मकता वैश्विक रूप से संरक्षित है, जिससे सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है।

भारत में दूध, मांस और अंडा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि

संदर्भ: हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी-2024 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दूध, मांस और अंडे के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **दूध उत्पादन:**
  - **वृद्धि:** भारत में दूध उत्पादन 2023-24 में 3.78% बढ़कर अनुमानित कुल 239.30 मिलियन टन तक पहुंच गया।
  - ऐतिहासिक वृद्धि: पिछले दशक में भारत का दूध उत्पादन 5.62% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है। 2014-15 में दूध उत्पादन 146.3 मिलियन टन था।
  - **वैश्विक रैंकिंग:** भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना हुआ है और अन्य दूध उत्पादक देशों से काफी अधिक अंतर से आगे है।
  - **राज्यवार योगदान:**
    - कुल दूध उत्पादन में 16.21% के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है, इसके बाद राजस्थान (14.51%), मध्य प्रदेश (8.91%), गुजरात (7.65%), और महाराष्ट्र (6.71%) का स्थान है।
    - पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों ने 2022-23 की तुलना में 2023-24 के लिए क्रमश: 9.76% और 9.04% की उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की।
- **अंडा उत्पादन:**
  - **वृद्धि:** 2023-24 के लिए भारत का अंडा उत्पादन 142.77 बिलियन अंडे तक पहुंचने का अनुमान है, जोकि पिछले दशक की तुलना में 6.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है।
  - **वार्षिक वृद्धि:** अंडा उत्पादन में पिछले वर्ष (138.38 बिलियन अंडे) की तुलना में 3.18% की वृद्धि हुई।
  - **वैश्विक रैंकिंग:** भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े अंडा उत्पादक देश का स्थान रखता है, जोकि वैश्विक अंडा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
  - **राज्यवार योगदान:**
    - कुल अंडा उत्पादन में 17.85% हिस्सेदारी के साथ आंध्र प्रदेश देश में सबसे आगे है, इसके बाद तमिलनाडु (15.64%), तेलंगाना (12.88%), पश्चिम बंगाल (11.37%), और कर्नाटक (6.63%) का स्थान है।
- **मांस उत्पादन:**
  - **वृद्धि:** भारत में 2023-24 के लिए मांस उत्पादन 10.25 मिलियन टन होने का अनुमान है, जोकि पिछले दशक की तुलना में 4.85% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। देश का मांस उत्पादन 2014-15 में 6.69 मिलियन टन से बढ़ा है।
  - **वार्षिक वृद्धि:** 2023-24 के दौरान मांस उत्पादन में पिछले वर्ष (9.77 मिलियन टन) की तुलना में 4.95% की वृद्धि हुई।
  - **संघटन:**
    - मुर्गीपालन का इसमें प्रमुख योगदान है, जोकि कुल मांस उत्पादन का 48.96% है।
    - मांस के अन्य स्रोतों में भैंस का मांस (18.09%), मवेशी (2.60%), भेड़ (11.13%), बकरी (15.50%), और सूअर का मांस (3.72%) शामिल हैं।
  - **राज्यवार योगदान:**
    - पश्चिम बंगाल 12.62% के साथ सबसे बड़ा मांस उत्पादक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (12.29%), महाराष्ट्र (11.28%), तेलंगाना (10.85%), और आंध्र प्रदेश (10.41%) का स्थान है।
    - मांस उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर असम (17.93%) में दर्ज की गई, उसके बाद उत्तराखंड (15.63%) तथा छत्तीसगढ़ (11.70%) का स्थान रहा।
- **ऊन उत्पादन:**
  - **वृद्धि:** 2023-24 में भारत का ऊन उत्पादन 33.69 मिलियन किलोग्राम होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.22% की मामूली वृद्धि दर्शाता है। इसकी तुलना 2019-20 में 36.76 मिलियन किलोग्राम और पिछले वर्ष 33.61 मिलियन किलोग्राम से की जा सकती है।
  - **राज्यवार योगदान:**
    - राजस्थान ऊन उत्पादन में अग्रणी है, जोकि कुल उत्पादन में 47.53% का योगदान देता है, इसके बाद जम्मू और कश्मीर (23.06%), गुजरात (6.18%), महाराष्ट्र (4.75%), और हिमाचल प्रदेश (4.22%) का स्थान आता है।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

28 November 2024

पॉवर पैक्ड न्यूज

नई लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ चेतना 3.0 अभियान

- हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 नवंबर, 2024 को एक माह तक चलने वाले 'नई चेतना- पहल बदलाव की' अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की।
- यह अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत चलाया जा रहा हैं। यह अभियान 23 दिसंबर, 2024 तक देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी रहेगा।

- इस अभियान का उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा (जी.बी.वी.) के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सामुदायिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना, सहायता प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करना और हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाना है।
- अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर (जीआरसी) का उद्घाटन है, जोकि पीड़ितों के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में कार्य करते हैं और सूचना, कानूनी सहायता, और घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए समर्थन प्रदान करते हैं।
- केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 'अब कोई बहाना नहीं' अभियान की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने पूरे भारत में लिंग आधारित हिंसा से निपटने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया।

चक्रवात फेंगल

- चक्रवात फेंगल (चक्रवात दाना के बाद बंगाल की खाड़ी का दूसरा प्रमुख चक्रवात है) जोकि भारतीय तट की ओर बढ़ रहा है और इसके रास्ते में तमिलनाडु स्थित है। फेंगल नाम सऊदी अरब द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- यह गहरे अवदाब के रूप में उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है।
- बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरा उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र अक्सर चक्रवातों से प्रभावित होता है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ते हैं

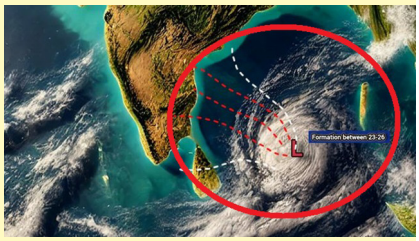

उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में:

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच बनने वाली तीव्र मौसम प्रणालियाँ हैं, जिनमें हवा की गति 34 नॉट (63 किमी/घंटा) से अधिक होती है।
- समुद्री ऊष्मा से संचालित ये चक्रवात पूर्वी व्यापारिक हवाओं, पश्चिमी हवाओं और ग्रहीय हवाओं द्वारा प्रभावित होते हैं और महासागर-वायुमंडलीय अंत:क्रियाओं के माध्यम से अपनी ऊर्जा बनाए रखते हैं।
- ये चक्रवात विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा, तेज हवाएं और तूफानी लहरें जैसी गंभीर घटनाएँ उत्पन्न कर सकते हैं।

भारतीय तटरक्षक बल कोच्चि में SAREX-24 की मेजबानी करेगा

- भारतीय तटरक्षक बल (ICG) 28 से 29 नवंबर, 2024 तक कोच्चि में सबसे बड़ा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX-24 आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में 22वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव (NMSAR) बोर्ड की बैठक भी शामिल होगी।
- SAREX-24 का विषय 'क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से SAR क्षमताओं को बढ़ाना' है। इस अभ्यास में सफल खोज और बचाव (SAR) कार्यों के लिए आवश्यक कौशल में सुधार के लिए लाइव सिमुलेशन शामिल होंगे।
- इसका उद्देश्य बचाव अभियानों के दौरान बेहतर समन्वय के लिए SAR क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करना है।
- इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी भाग लेंगे, जो समुद्री सुरक्षा में वैश्विक सहयोग पर प्रकाश डालेंगे। यह कार्यक्रम समुद्री आपात स्थितियों के लिए भारत की तैयारियों को बढ़ाने और समुद्री बचाव प्रयासों में क्षेत्रीय टीमवर्क को बेहतर बनाने पर केंद्रित होगा।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- SAREX-24 में समुद्र में जीवन बचाने में भारत के योगदान और समुद्री सुरक्षा में क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करने के उसके प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह कार्यक्रम अधिक प्रभावी बचाव कार्यों के लिए ज्ञान साझा करने और सहयोग को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करेगा।

अटल नवाचार मिशन (एआईएम)

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपये के बजट के साथ अटल नवाचार मिशन (एआईएम) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के साथ भारत के नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।
- एआईएम 2.0 को भारत के पहले से ही जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तारित, मजबूत और गहरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेटवर्क शामिल है।

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के बारे में:

- यह देश भर में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है।
- इस पहल का एक प्रमुख घटक अटल टिंकरिंग लैब्स है, जिसका उद्देश्य प्रयोग और व्यावहारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करके छात्रों में रचनात्मक और नवीन मानसिकता पैदा करना है।
- भारत वर्तमान में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वें स्थान पर है और एआईएम के विस्तार से नवाचार आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार होने तथा अनुसंधान और विकास के लिए इनपुट में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- एआईएम के जारी रहने से रोजगार सृजन, नवीन उत्पादों के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाली सेवाओं के प्रावधान पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

NITI Aayog | ATAL INNOVATION MISSION